



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1944 (श०)

(सं० पटना 1078) पटना, बुधवार, 14 दिसम्बर 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

14 दिसम्बर 2022

सं० वि०स०वि०-२०/२०२२- ३९६९/वि०स० |— “बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, २०२२”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-१४ दिसम्बर, २०२२ को पुरस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-११६ के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव ।

[विंस०वि०-16/2022]

बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022
बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017)
का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।—

- (1) यह अधिनियम बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
- (2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।
परंतु इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

2. धारा 16 का संशोधन।— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा-16 में :— (क) उपधारा (2) में,—

- (i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—
“(ख) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त आपूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे निर्बंधित नहीं किए गए हों”
- (ii) खंड (ग) में, “या धारा 43क” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा:
- (ख) उपधारा (4) में, “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिए जाने की अंतिम तारीख” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 29 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में,—

- (क) खंड (ख) में, ‘तीन क्रमवर्ती कर अवधियों के लिए विवरणी’ शब्दों के स्थान पर, ‘उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से तीन मास से परे किसी वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी’ शब्द रखे जायेंगे :
- (ख) खंड (ग) में, ‘लगातार छह मास की अवधि के लिए’ शब्दों के स्थान पर, ‘ऐसी लगातार कर अवधियों, जो विहित की जाए, के लिए’ शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 34 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) में “सितंबर मास” शब्द के स्थान पर “30 नवंबर” शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 37 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 37 में,—

- (क) उपधारा (1) में,—
 - (i) “इलैक्ट्रॉनिक रूप में” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए इलैक्ट्रॉनिक रूप में और” शब्द रखे जाएंगे :
 - (ii) “उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संसूचित किए जायेंगे” शब्दों के स्थान पर, “ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए और ऐसे समय के भीतर उक्त पूर्तियों के प्राप्तिकर्ता को ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संसूचित किए जाएं” शब्द रखे जाएंगे :
 - (iii) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा :
 - (iv) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु” शब्द रखा जाएगा :
 - (v) तीसरे परंतुक में, “परंतु यह और भी कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह और कि” शब्द रखा जाएंगे :
- (ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा :
- (ग) उपधारा (3) में,—
 - (i) “जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन सुमेलित नहीं हो सके हैं” शब्दों का लोप किया जाएगा :
 - (ii) पहले परंतुक में, “सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्” शब्दों के स्थान पर “30 नवंबर के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने के पश्चात् या सुसंगत वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात्” शब्द रखे जाएंगे :

(घ) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे किसी कर अवधि के लिए प्रस्तुत करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि उसके द्वारा किन्हीं पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग को उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करना तब भी अनुज्ञात कर सकेगी जब उसने एक या अधिक पूर्ववर्ती कर अवधियों के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए हैं”।

6. धारा 38 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“38 आवक पूर्तियों और इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की संसूचना—

(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत जावक पूर्तियों तथा ऐसे अन्य पूर्तियों, जो विहित किए जाएं, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला स्वतः जनित विवरण ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसे पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक ढंग से उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्वतः जनित विवरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) आवक पूर्तियों के ब्यौरे, जिनके संबंध में इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकेगा, और

(ख) पूर्तियों के ब्यौरे जिनकी बावत प्राप्तकर्ता द्वारा, चाहे पूर्णतः या अंशतः, ऐसे प्रत्यय का लाभ नहीं लिया जा सकेगा, चूंकि अधिनियम की धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन उक्त ब्यौरे,—

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण लेने की ऐसी अवधि, जो विहित की जाए, के भीतर प्रस्तुत किये गये हैं ; या

(ii) कर के संदाय में व्यतिक्रम करने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, और जहां ऐसा व्यतिक्रम ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, निरंतर रहा है; या

(iii) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसके द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण के अनुसार विहित की जाने वाली अवधि हेतु संदेय आउटपुट कर उसी अवधि हेतु उसके द्वारा संदर्भ आउटपुट कर से ऐसी सीमा से अधिक है जो विहित की जाय ; या

(iv) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने ऐसी अवधि के दौरान, जो विहित की जाए, उस रकम के इनपुट कर के प्रत्यय का लाभ लिया है जो खंड (क) के अनुसार उपलब्ध प्रत्यय से ऐसी सीमा तक अधिक है, जो विहित की जाए; या

(v) किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जिसने, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन जो विहित किए जाएं, धारा 49 की उपधारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपने कर दायित्व के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है; या

(vi) ऐसे व्यक्तियों के अन्य वर्ग, जो विहित किए जाए, द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं।’।

7. धारा 39 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 39 में :-

(क) उपधारा (5) में, ‘बीस’ शब्द के स्थान पर, ‘तेरह’ शब्द रखा जाएगा :

(ख) उपधारा (7) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्—

“परंतु प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर रहा है, सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए —

(क) माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों को गणना में लेते हुए लाभ लिए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और मास के दौरान ऐसी अन्य विशिष्टियों के समतुल्य कर की रकम, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट रकम के स्थान पर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अवधारित रकम, का संदाय करेगा।’,

- (ग) उपधारा (9) में,—
- “धारा 37 और धारा 38 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “जहाँ” शब्द रखा जाएगा,
 - परंतु में, “सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए” शब्दों के स्थान पर, “30 नवम्बर” अंक और शब्द रखे जाएंगे,
- (घ) उपधारा (10) में, “विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है।” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
- “पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए विवरणी या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए हैं :
- परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुमति कर सकेगी, यद्यपि उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हों या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये हों।”।

8. धारा 41 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।— मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

“41 इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग—

- प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं, अपनी विवरणी में स्व.निर्धारिती के रूप में पात्र इनपुट कर के प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा और ऐसी रकम उसके इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते में जमा की जाएगी।
- माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्ति की बाबत उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय, उस पर संदेय कर, पूर्तिकर्ता द्वारा संदत नहीं किया गया है, वह उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, लागू व्याज के साथ रिवर्स करेगा :

परन्तु जहाँ ऐसा पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्ति की बाबत संदेय कर का भुगतान करता है, उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उसके द्वारा यथा पूर्वोक्त रिवर्स की गयी रकम ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पुनः प्राप्त कर सकेगा।”।

9. धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप।— मूल अधिनियम की धारा 42, धारा 43 और धारा 43क का लोप किया जाएगा।”।

10. धारा 47 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1) में,—

- “या आवक” शब्दों का लोप किया जाएगा :
- “या धारा 38” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा :
- “धारा 39 या धारा 45” शब्दों और अंकों के पश्चात् “या धारा 52” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जायेंगे।

11. धारा 48 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, “धारा 38 के अधीन आवक पूर्तियों के ब्यौरे” शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा।

12. धारा 49 का संशोधन।— मूल अधिनियम अधिनियम की धारा 49 में,—

- उपधारा (2) में, “या धारा 43क” शब्दों, अंकों और अक्षर का लोप किया जाएगा;
 - उपधारा (4) में, “ऐसी शर्तों” शब्दों के पश्चात्, “और निर्बंधनों” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
 - उपधारा (11) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:
- “(12) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के अधीन, जावक कर दायित्व के ऐसे अधिकतम भाग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, इलैक्ट्रॉनिक जमा खाते के माध्यम से चुकाया जा सकेगा।”।

13. धारा 50 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

“(3) जहाँ इनपुट कर प्रत्यय का गलत उपभोग और उपयोग किया गया है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे गलत उपभोग और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय पर, सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाने वाली चौबीस प्रतिशत से अनधिक दर पर व्याज का संदाय करेगा और व्याज की गणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी।”।

14. धारा 52 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (6) के परंतुक में, “आने वाले सितंबर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख” शब्दों के स्थान पर, “30 नवंबर” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

15. धारा 54 का संशोधन।— मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

- (क) उपधारा (1) के परंतुक में, “धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय का ऐसी रीति” शब्दों और अंकों के स्थान पर “ऐसे प्रतिदाय का ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति” शब्द रखे जाएंगे;
- (ख) उपधारा (2) में, “छह मास” शब्दों के स्थान पर, “दो वर्ष” शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) उपधारा (10) में, “उपधारा (3) के अधीन” शब्दों, कोष्ठकों ओर अंक का लोप किया जाएगा;
- (घ) स्पष्टीकरण के खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ख) विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई को शून्य दर पर माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति की दशा में, जहां, यथास्थिति, उन्हें ऐसी पूर्ति या ऐसी पूर्ति में प्रयुक्त इनपुट या इनपुट सेवाओं की बाबत संदर्भ कर का प्रतिदाय उपलब्ध है, ऐसी पूर्तियों की बाबत धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख ;”।

16. मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।—

- (1) मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0ओ0 128, तारीख 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, प्रथम अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति में, भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे अर्थात्:—
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी मानो कि राज्य सरकार को, मूल अधिनियम की धारा 146 के अधीन सभी तात्त्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

17. मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन।—

- (1) मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन, राज्य सरकार द्वारा परिषद की सिफारिशों पर जारी वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं. एस0ओ0 101 तारीख 29 जून, 2017 में संशोधन किए जाएंगे और उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से भूतलक्षी प्रभाव से किए गए समझे जाएंगे।
- (2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचनाओं को संशोधित करने की शक्ति होगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति समझी जाएगी, मानो राज्य सरकार को मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) और उपधारा (3), धारा 54 की उपधारा (12) तथा धारा 56 के अधीन सभी तात्त्विक समय पर भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने की शक्ति थी।

18. कतिपय मामलों में राज्य कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी रूप से छूट।—

- (1) राज्य सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन, शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 65, तारीख 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मत्स्य आहार (शीर्ष 2301 के अधीन आने वाला) के, सिवाय मत्स्य तेल के, उत्पादन के दौरान सृजित अनआशयित अपशिष्ट की पूर्ति के संबंध में, 1 जुलाई, 2017 से प्रारंभ होकर, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, कोई राज्य कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा।
- (2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती।

19. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से प्रभाव।—

- (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस0 ओ0 371, तारीख 30 सितम्बर, 2019, राज्य सरकार द्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, जो मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, 1 जुलाई 2017 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।
- (2) ऐसे सभी राज्य—कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किंतु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना, सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त होती।

20. निरसन एवं व्यावृति।—

- (1) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (बिहार अध्यादेश संख्या 02, 2022) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

प्रथम अनुसूची

[धारा 16(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
(1)	(2)	(3)
वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं० एस०ओ० 128, तारीख 23 जनवरी, 2018	उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, 'विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा परिनिर्धारण' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्— ‘विवरणियां प्रस्तुत करने और एकीकृत कर की संगणना तथा निपटारे और जैसे अधिसूचना संख्या एस०ओ० 401, तारीख 26 दिसंबर, 2019 में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन उपबंधित सभी कृत्य।’।	22 जून, 2017

द्वितीय अनुसूची

[धारा 17(1) देखें।]

अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन	संशोधन की प्रभावी तारीख
1	2	3
वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना सं० एस०ओ० 101, तारीख 29 जून, 2017	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं० 2 के सामने, स्तंभ (3) में, '24' अंकों के स्थान पर, '18' अंक रखे जाएंगे।	1 जुलाई, 2017

वित्तीय संलेख

प्रस्तावित बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 में राज्य की संचित निधि से कोई आवर्ती या गैर—आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विजय कुमार चौधरी
भार—साधक सदस्य।

उद्देश्य एवं हेतु

दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूरे देश में माल और सेवा कर प्रणाली लागू है। तदनुसार राज्य में भी बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 प्रख्यापित किया गया है।

इस नई कर प्रणाली के लागू किये जाने के उपरान्त इसके कतिपय प्रावधानों को लेकर कठिनाइयाँ प्रकाश में आयीं। इन पर जी०एस०टी० परिषद् की बैठकों में विचार किया गया। तदालोक में संसद द्वारा यथा पारित वित्त अधिनियम, 2022 के माध्यम से केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किये गये हैं। वित्त अधिनियम, 2022 भारत के राजपत्र में दिनांक 30 मार्च, 2022 को प्रकाशित भी किया जा चुका है।

चूंकि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियम एक दूसरे के प्रतिबिंब (Mirror Image) हैं। अतः केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में किये गये किसी भी संशोधन के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन किया जाना चाहनीय है।

विधेयक प्रारूप के माध्यम से बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की कई धाराओं में संशोधन किया गया है, कई धाराओं के स्थान पर नई धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है एवं कतिपय धाराओं का लोप किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिसूचनाओं में भूतलक्षी रूप से संशोधन किया गया है और कतिपय मामलों में जी०एस०टी० से भूतलक्षी से छूट दी गई है।

विधेयक प्रारूप के माध्यम से किये गये संशोधनों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ प्राप्त करने हेतु शर्तों को विस्तारित करना एवं इसे लेने की समयावधि में विस्तार, निबंधन के रद्द किये जाने के प्रावधानों में परिवर्तन, विवरणी दाखिले से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन, Provisional आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की व्यवस्था समाप्त किया जाना एवं ब्याज अधिरोपन से संबंधित प्रावधानों में परिवर्तन मुख्य रूप से शामिल हैं।

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन कराना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(विजय कुमार चौधरी)
भार-साधक सदस्य

पटना,
दिनांक-14 दिसम्बर, 2022

पवन कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1078-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**